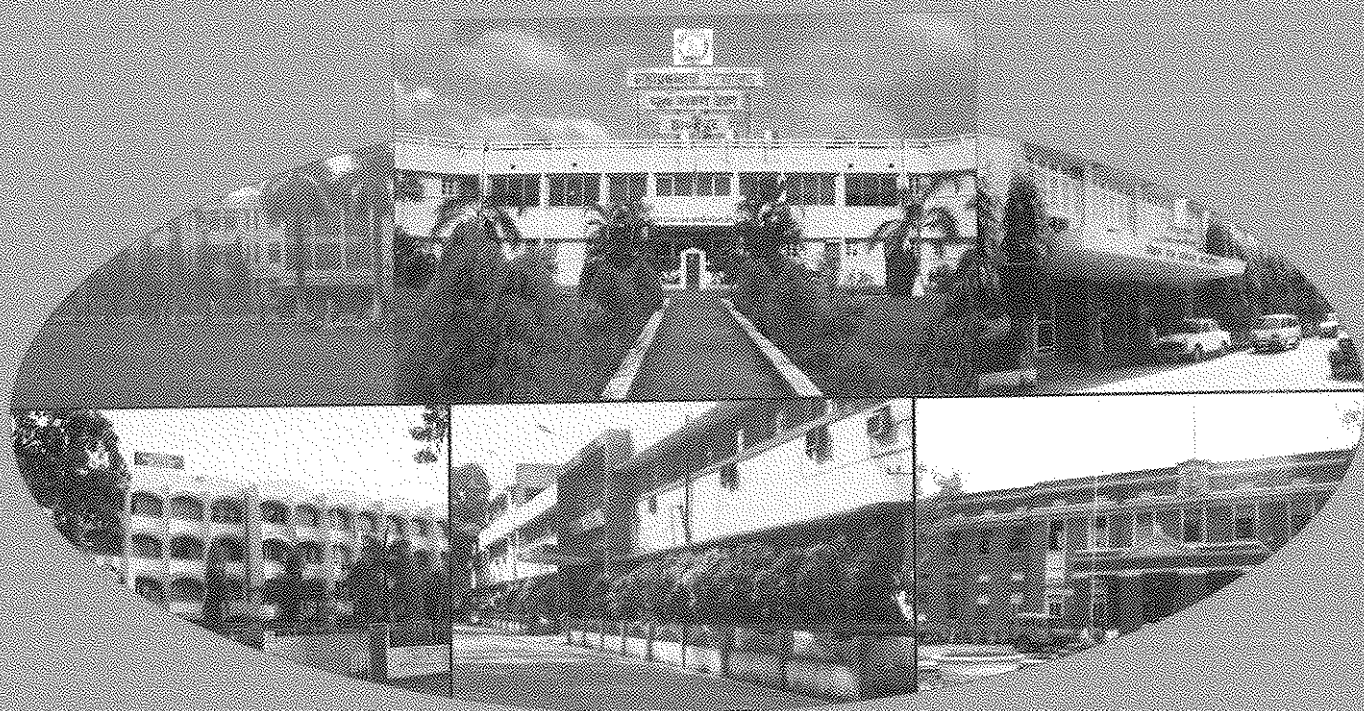


क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति



स्थान : हाजीपुर

दिनांक : मई 26, 2010

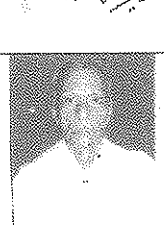


पूर्व मध्य रेल

यात्री सेवा एवं विकास के लिए सदा तत्पर

पूर्व मध्य रेल
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य
अवधि (16.09.2009 से 15.09.2011)

क्रम सं०	फोटो	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
1.		श्री जय किशोर दत्त 301ए, चतुरंग एपार्टमेन्ट, ए.एन.पथ, नॉर्थ एस. के. पुरी बोरिंग रोड, पटना मो०— 9470001266, 9934067846	राज्य सरकार के प्रतिनिधि	बिहार सरकार
2.		डा० अनुप कुमार कडिया बसेरा, 101-ए गोसाईबाग, टेकारी रोड, गया मो० — 9430056396	चेम्बर ऑफ कॉमर्स	सेन्ट्रल बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स, गया
3.		श्री सुबोध कुमार जैन मे. एशियन ट्रेडर्स, राजेन्द्र पथ, पटना दूरभाष — 0612-2221391, 2320195 मो०— 9334110115	चेम्बर ऑफ कॉमर्स	बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स पटना
4.		श्री बैद्यनाथ सिंह 115-बी, शान्ति भवन सेन्टर, बैंक मोड़, धनबाद दूरभाष — 0326-2303020 मो० — 9431121849	इन्डस्ट्रीज एंड कॉमर्स	इन्डस्ट्रीज एंड कॉमर्स एशोशिएसन, धनबाद
5.		श्री देवी लाल छोटी सरैयागंज, मुजफ्फरपुर दूरभाष — 0621-2247000 मो०— 9430474700	ट्रेड एशोशिएसन	जेनरल मचेन्ट एशोशिएसन, मुजफ्फरपुर
6.		श्री मनोज कुमार सिंह ग्राम— चौधाबन्नी, पो. बाबूबगीचा भाया— मानसी, जिला खगड़िया मो०— 9709325196	राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि	बिहार सरकार

7.		श्री कमलेश्वरी मेहता, ग्राम-किशुनगंज रामबाग पो.-उदाकिशुनगंज जिला-मधेपुरा मो0- 9006792624	राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि	बिहार सरकार
8.		श्री दुर्गेश कुमार राय द्वारा- श्री मिथलेश कुमार उर्फ भीम सिंह ग्राम/पो0-मेयारी, जिला-समस्तीपुर मो0- 9431425177	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	सोनपुर
9.		श्री बिनय कुमार डी-4, एन.एच.-4, एन.टी.पी.सी.पो. रिहन्दनगर, जिला-सोनभद्र मध्य प्रदेश दूरभाष - 05446-242894 मो0- 9415122176	पब्लिक सेक्टर	एन.टी.पी.सी. रिहन्द
10.		श्री रंजन कुमार साहा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची दूरभाष - 0651-2360001 मो0- 9431170652	पब्लिक सेक्टर	सी.सी.एल, राँची
11.		श्री देवेन्द्र कुमार जैन साकेत जी.बी.रोड, गया दूरभाष - 0631-2222777, 2222333 मो0 - 9431224555	रजिस्टर्ड पैसेन्जर एशोशिएसन	ग्रेन्ड कार्ड पैसेन्जर एशोशिएसन, गया
12.		श्री गोबिन्द प्रसाद केजरीवाल केजरीवाल एंड कम्पनी सुतापट्टी, मुजफ्फरपुर दूरभाष - 0621-2243151 मो0 - 9431238678	रजिस्टर्ड पैसेन्जर एशोशिएसन	नॉर्थ बिहार ट्रेवलर एशोशिएसन, मुजफ्फरपुर
13.		श्री योगेन्द्र प्र. सिंह पो. भगवानपुर, जि. वैशाली मो - 09304620729	रजिस्टर्ड पैसेन्जर एशोशिएसन	दैनिक यात्री संघ, भगवानपुर, वैशाली
14.		श्री रोहन लाल मेहता रोहित चित मन्दिर, थाना चौक, डेहरी ऑन सोन, रोहतास दूरभाष - 06184-250722 मो0- 9431465812	केन्द्रिय मंत्री द्वारा मनोनीत	श्रीमती मीरा कुमार, माननीय लोक सभा अध्यक्षा

15.		श्री कुमुद वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, टाईम्स ऑफ इन्डिया, पटना दूरभाष — 0612-2252584 मो0 — 9835052496	महाप्रबंधक के विशेष रुचि	महाप्रबंधक के विशेष रुचि
16.		मो0 कादिर हुसैन हाजी-लॉज, ग्राम-पोस्ट श्रीरामपुर, तोप चॉची, जिला धनबाद दूरभाष — मो0— 9973848530, 9973848532	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि
17.		श्री पं. राजेश शुक्ला टिल्लू हीरानन्द साह लेन चौक, पटना सिटी पटना दूरभाष — 0612-2642111 मो0 — 9431014654	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि
18.		श्री मनीष कुमार प्रेम निवास, सुभाषनगर गली नं.-7 पो. डालमीयानगर, था.- डिहरी, जिला- रोहतास मो0— 9334950704	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि
19.		श्री अमिषेक गुप्ता मुहल्ला-बनरियापट्टी, पो-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण मो0— 9934002265	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि

पूर्व मध्य रेल के विभागाध्यक्ष

श्री ए. पी. मिश्र	—	महाप्रबंधक सह अध्यक्ष/जेड.आर.यू.सी.सी.
श्री ए. के. झा	—	उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव/जेड.आर.यू.सी.सी.

मुख्यालय

क्रम सं०	नाम	पद
1	श्री वी. भरथुआर	अपर महाप्रबंधक
2	श्री आर.एस.पाण्डेय	मुख्य परिचालन प्रबंधक
3	श्री प्रमोद कुमार	मु.प्र.अधिकारी/निर्माण/उ०
4	श्री मधुरेश कुमार	मु.प्र.अधिकारी/निर्माण/द०
5	श्री एस. सी. झा	प्रमुख मुख्य अभियन्ता
6	श्री वी. के. तिवारी	मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
7	श्री एम० के० जैन	मुख्य विद्युत अभियन्ता
8	श्री नीरज सिन्हा	मुख्य सुरक्षा आयुक्त
9	श्री डब्लू. के. प्रधान	मुख्य यांत्रिक अभियन्ता
10	श्री बी. राय	वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
11	श्री आर. सिंह	भंडार नियंत्रक
12	श्री एच० के० अग्रवाल	मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार अभियन्ता
13	श्री नरेन्द्र कुमार	वरीय उप महाप्रबंधक
14	श्री जे. एस. पी. सिंह	मुख्य कार्मिक अधिकारी
15	डा० यू० सिंह	मुख्य चिकित्सा निदेशक
16	श्री एस० अनंता रामन	मुख्य संरक्षा अधिकारी
17	श्री दिलीप कुमार	मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

मंडल

18	श्री आर. के. अग्रवाल	मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर
19	श्री कुन्दन चौधरी	मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर
20	श्री ज्ञान प्रकाश	मंडल रेल प्रबंधक/दानापुर
21	श्री ए. एस. उपाध्याय	मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद
22	श्री ए. के. पुठिया	मंडल रेल प्रबंधक/मुगलसराय

पूर्व मध्य रेल : एक परिचय

जिला — वैशाली, हाजीपुर — 844101
(बिहार)

भारतीय रेल के नवसृजित क्षेत्रीय रेलों में से एक पूर्व मध्य रेल की स्थापना 01 अक्टूबर, 2002 को हुई। इसके अंतर्गत 05 मंडल आते हैं यथा — सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद। यह मुख्यतया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 2980 वर्ग किलोमीटरमें फैली हुई है।

वर्ष 2009-10 में परिसम्पत्ति, अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन		
	योजना परिव्यय (करोड़ में)	
	2008-09	2009-10
नई लाइन (निर्माण)	322.00	321.42
खराब लाइनों का पुनर्निर्माण	5.00	5.00
आमान परिवर्तन	140.00	110.10
दोहरीकरण	106.01	85.58
रेल पथ सुविधा — यार्ड पुनर्निर्माण एवं अन्य	73.42	69.99
कंप्यूटरीकरण	9.57	10.70
चल स्टॉक	5.52	14.33
संरक्षा		
समपार फाटक	42.14	40.00
रेल पथ नवीकरण	225.00	347.68
पुल कार्य	136.33	63.71
सिगनलिंग एवं दूरसंचार कार्य	96.87	60.58
अन्य विद्युतीय कार्य	14.65	13.9
मशीन एवं संयंत्र	7.82	8.87
उत्पादन इकाई सहित कारखाना	438.56	847.81
यात्री सुविधाएँ	71.93	37.63
कुल	1834.81	2108.42

वर्ष 2009-10 के लिए योजनाएँ

रेल ने वर्ष 2009-10 में पूर्व मध्य रेल को कैपिटल निवेश के लिए रु. 2108.42 करोड़ आवंटित किया है। प्रमुख निवेश शीर्षों में रु. 517.10 करोड़ की लागत से नई लाइनों का निर्माण, आमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण कार्य शामिल है जो कुल योजना निवेश का लगभग 24.51 % है। रेल पथ नवीकरण को भी उच्च प्राथमिकता देते हुए इस शीर्ष में रु. 347.68 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुल संबंधी कार्य तथा सिगनल एवं दूरसंचार को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी है तथा क्रमशः रु. 63.71 करोड़ एवं रु. 60.58 करोड़ का आवंटन किया गया है।

रूट किलोमीटर एवं विद्युतीकरण

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	कुल ट्रैक किलोमीटर
बी.जी. एवं एम.जी.	3556.778	5136.236	7644.605
विद्युतीकरण	1407.827	3758.3447	

सामग्री वार माल-भाड़ा लक्ष्य

सामग्री	2009-2010 (आँकड़े मिट्रिक टन में)
कोयला	73.00
पी. ओ. एल.	01.30
आरएमएसपी	0.39
सीमेन्ट	1.00
खाद	0.01
अन्य	05.409
कुल	81.00

मंडल

दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर

कारखाना

- समस्तीपुर कारखाना / समस्तीपुर
- इंजीनियरिंग एवं पुल कारखाना / मुगलसराय
- फ्लश बट वेल्डिंग प्लांट / मुगलसराय
- ट्रैक मशीन शॉप / मुगलसराय

मंडल

दानापुर मंडल

दानापुर, बिहार

भारत सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे के अधिग्रहण के पश्चात् 1925 ई. में दानापुर मंडल अस्तित्व में आया। झांझा और मुगलसराय के बीच में लाइन का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा 1862 ई. में कराया गया था। इसके पश्चात् किऊल-गया और पटना-गया लाइन इसमें शामिल किए गए। 1978 में दानापुर मंडल का विभाजन दानापुर और मुगलसराय मंडल के रूप में किया गया।

सेवित क्षेत्र

दानापुर मंडल द्वारा बिहार के 11 जिले और उत्तर प्रदेश के 03 जिले सेवित हैं। इसका विस्तार मुगलसराय से (मुगलसराय स्टेशन छोड़कर) झांझा, पटना से गया (गया स्टेशन छोड़कर), फतुहा से इस्लामपुर, बख्तियारपुर से राजगीर, हाथीदा से बरौनी (बरौनी स्टेशन छोड़कर), किऊल से मानपुर (मानपुर स्टेशन छोड़कर) और दिलदारनगर से ताड़ीघाट तक है।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
734.410	1158.210	495	1178

यात्री स्टेशन/हॉटों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	07
ब्लॉक स्टेशन	:	74
हॉल्ट स्टेशन	:	117
फ्लैग स्टेशन	:	14

सेवित उद्योग

भारत वैगन (मोकामा), बी.टी.पी.एस (बरौनी) और विभिन्न स्थलों के एफ.सी.आई के गोदाम इस मंडल द्वारा सेवित हैं।

गुड्स शेड

पटना साहिब, फतुहा, मोकामा, जमुई, किऊल, झांझा, लखीसराय, जहानाबाद, आरा, वारसलीगंज, बिहार शरीफ, बक्सर, दानापुर शेखपुरा और डुमरौव।

धनबाद मंडल

धनबाद, झारखंड

सेवित क्षेत्र :

झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, राँची, बोकारो, कोडरमा, पलामू, लातेहार, गढ़वा और गिरिडीह, बिहार में नवादा और गया, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मध्य प्रदेश में सिंधी जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
866.840	1329.430	594.00	1472.00

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	07
ब्लॉक स्टेशन	:	87
हॉल्ट स्टेशन	:	27

सेवित उद्योग

बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल एवं एन.सी.एल. के कोल फिल्ड, टिस्को का वेस्ट बोकारो कोल वाशरी, टिस्को का चासनाला कोलियरी, सी.टी.पी.एस., बी.टी.पी.एस, ए.टी.पी.एस., ओ.टी.पी.एस, एस.एस.टी.पी.पी., वी.एस.टी.पी.पी. और आर.एच.एस.टी.पी.पी. के पावर हाउस, सिन्दरी स्थित ए. सी.सी. सीमेंट फैक्टरी, रेणुकूट स्थित हिंडालको, रेणुकूट स्थित कानोरिया केमिकल्स, गढ़वा रोड स्थित बिहार कॉस्टिक एवं केमिकल।

गुड्स शेड

धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, राँची रोड, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, टोरी, रिचुगुटा, सिंगरौली, बिल्ली, रफीगंज, मानपुर, नवीनगर, सोननगर एवं गढ़वा रोड।

मुगलसराय मंडल

मुगलसराय - 232101

उत्तर प्रदेश

मानपुर-मुगलसराय सेक्शन इस गङ्गाद्वीप का व्यवस्तम माल परिवहन करने वाला ग्रैंड कोंडके नाम से विख्यात रेल-मार्ग का एक भाग है। मुगलसराय-हावड़ा मार्ग पर सोन नदी पर 3 किलोमीटर लंबा बृहत्तम रेल सेतु है। 1878 ई. में स्थापित रेलवे इंटर कॉलेज, मुगलसराय एक प्राचीनतम शैक्षणिक संस्था है।

सेवित क्षेत्र :

बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया, झारखंड में पलामू और उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

विद्युतीकरण			
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
415.045	856.315	308.3	1048

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	: 05
ब्लॉक स्टेशन	: 42
हॉल्ट स्टेशन	: 17

सेवित उद्योग

यह मंडल, डेहरी-ऑन-सोन स्थित कल्याणपुर सीमेंट तथा पायराइट्स एण्ड फासफेट लिमिटेड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

लोको शेड

धारण क्षमता

विद्युत लोको शेड, मुगलसराय	145
डीजल लोको शेड, मुगलसराय	47

गुड्स शेड

गया, मानपुर, सोननगर, सासाराम, मुगलसराय, माल प्रचालन टर्मिनल हैं।

समस्तीपुर मंडल

समस्तीपुर -848101

बिहार

सेवित क्षेत्र :

समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दौरम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णियां, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया और अररिया।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
बी.जी.	580.710	583.710
एम.जी.	490.100	490.100

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	09
ब्लॉक स्टेशन	:	107
हॉल्ट स्टेशन	:	66
फ्लैग स्टेशन	:	18
पी. आर. एस.	:	40
यू.टी.एस.	:	47

सोनपुर मंडल

सोनपुर - 841101
बिहार

सेवित क्षेत्र :

बिहार का छपरा (सारण), वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

विद्युतीकरण			
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
469.683	718.471	10.527	60.3447

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	06
ब्लॉक स्टेशन	:	58
हॉल्ट स्टेशन	:	19
फ्लैंग स्टेशन	:	05

सेवित उद्योग

यह मंडल मुजफ्फरपुर के निकट कांटी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी के निकट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन इंजीनियरी लिमिटेड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

सोनपुर, हाजीपुर, नारायणपुर अनंत, बरौनी, खगड़िया, कपूर्नी ग्राम, बेगुसराय, नवगछिया।

यात्री सुविधाओं एवं परिचालन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पूर्व मध्य रेल पर 158 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 257 स्टेशनों पर यू.टी.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 2008-09 में प्रतिदिन लगभग 222 माल गाड़ियाँ चलती थी और 2009-10 में करीब 240 मालगाड़ियाँ प्रतिदिन चली हैं।
- पूर्व मध्य रेल में माल लदान भारतीय रेल के कुल माल लदान का 9 प्रतिशत है और भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेल का स्थान 5वाँ है।
- पूर्व मध्य रेल पर कोयले का लदान भारतीय रेल पर कोयले के लदान का 18 प्रतिशत है और भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेल का स्थान दूसरा है।

यात्री भीड़-भाड़ का निपटान

अतिरिक्त कोच

पूर्व मध्य रेल में विभिन्न श्रेणियों में 2009-2010 में 2272 अतिरिक्त कोच लगाये गये।

अतिरिक्त सीटें/बर्थ

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ का निपटान करने हेतु 2009-2010 में लगभग 1,47,600 अतिरिक्त सीटें/बर्थ की व्यवस्था की गई।

विशेष रेलगाड़ियाँ

पूर्व मध्य रेल द्वारा 2009-10 में ग्रीष्मकाल एवं त्यौहारों के अवसर पर विशेष रेलगाड़ियों के अवसर पर 48 विशेष रेल गाड़ियों के द्वारा 525 फेरे चलाये गये।

सवारी गाड़ी के परिचालन की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं

	विवरण	पूर्व मध्य रेल की स्थापना से
1.	नई गाड़ियों का आरंभ	118 जोड़ी
2.	गाड़ी सेवाओं का विस्तार	66 जोड़ी
3.	गाड़ियों के फेरों में वृद्धि	07 जोड़ी
4.	विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव	571
5.	नये हाल्ट	109

यात्री विवरण

2009-10

प्रतिदिन यात्रियों की औसत संख्या	6.84 लाख
उपनगरीय	शून्य
गैर-उपनगरीय	6.84 लाख
यात्रियों की कुल संख्या	24.98 करोड़
उपनगरीय	शून्य
गैर-उपनगरीय	24.98 करोड़

यात्री आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2007-08	1031.03	
2008-09	1132.55	+101.52 (9.84 %)
2009-10	1237.39	+ 104.84 (9.25 %)

माल-भाड़ा आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2007-08	3840.56	
2008-09	4278.24	+ 437.68 (11.40 %)
2009-10	4777.82	+ 499.58 (11.68 %)

सकल आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2007-08	4948.33	
2008-09	5493.94	+ 545.65 (11.02 %)
2009-10	6113.88	+ 61.94 (11.28 %)

यात्री वृद्धि

(आंकड़े करोड़ में)

शीर्ष	वार्षिक		
	2007-08	2008-09	2009-10
यात्रियों की कुल संख्या	20.71	23.22	24.98
गत वर्ष से अन्तर(%में)		+ 12.11 %	+ 7.57 %

यात्री सुविधाओं पर किया गया व्यय

वर्ष	व्यय
2007-08	27.53 करोड़
2008-09	23.29 करोड़
2009-10	22.10 (दिसम्बर 2009 तक)

माल-भाड़ा तुलनात्मक लदान

(मिलियन टन में)

शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10
कोयला	67.42	70.02	72.54
अन्य सामग्री	6.46	6.68	6.62
कुल	73.88	76.70	79.16
गत वर्ष से हुई वृद्धि		+ 3.81 %	+ 3.20 %

सफाई

यह पूर्व मध्य रेल का उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर अपर महाप्रबंधक एवं मंडल स्तर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा की जाती है।

- दिनांक 26.06.09 से मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर लगातार विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.07.2009 से 15.07.2009 तक और 10.03.10 से 25.03.10 तक मंडल स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया।
- अनेक स्टेशन पर "भुगतान करें एवं शौचालयों का उपयोग करें" आरंभ किया गया तथा ऐसी सुविधा और अधिक स्थान पर उपलब्ध करायी जाने वाली है।
- रेलवे ट्रैकों विशेषकर प्लेटफार्म एरिया में कचरा निपटान एवं सफाई की स्थिति में सुधार किया जाता है।
- कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करने एवं इस अभियान को सफल बनाने के लिए रेल उपयोगकर्ताओं से और सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।

न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था

पूर्व मध्य रेल में स्थित 672 स्टेशनों में न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

- 'ए-1' एवं 'ए' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।
- 'बी' श्रेणी के स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है।

24—कोच की लम्बाई वाले प्लेटफार्म

- लम्बी गाड़ियों को चलाने के लिए पूर्व मध्य रेल के कुल 82 स्टेशनों को विस्तारित कर 24 कोच क्षमता का बना दिया गया है।

वर्ष 2009-10 में निर्माण विभाग की कुछ उपलब्धियाँ

1. यातायात सुविधा

- यातायात सुविधा के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज खण्ड के कुमारबाध एवं चनपटिया स्टेशन में से प्रत्येक पर अतिरिक्त लाईन का निर्माण किया गया।
- चार कासिंग स्टेशन नयानगर, तारसराय, जोगियारा एवं परसौनी का निर्माण किया गया (लगभग 10 कि०मी० रेल लाईन)। ये सब खगड़िया-समस्तीपुर, दरभंगा-सीतामढ़ी एवं दरभंगा-सकरी खण्ड के अमान परिवर्तन के शेष कार्य थे।

2. नई लाइन

- पीरो-आरा 38 कि. मी. (आरा-सासाराम खण्ड पर) कार्य पूरा हुआ, रेल परिचालन दिनांक 31.10.09 से शुरू।

लम्बी प्रतीक्षित, आरा और सासाराम के मध्य नई लाईन परियोजना (98 कि.मी.) पूरा किया गया।
- राजगीर-तिलैया 48 कि.मी. कार्य पूरा हुआ, सीआरएस निरीक्षण दिनांक 12 जनवरी 2010 को सम्पन्न हुआ। यात्री गाड़ी परिचालन के लिए तैयार है।
राजगीर एवं तिलैया में सही यार्ड रिमॉडलिंग के साथ सबसे लम्बा नया रेल खण्ड खुला।
- महेशपुर-नवाडीह 14 कि.मी. कार्य पूरा हुआ, सीआरएस निरीक्षण दिनांक 26.03.10 को सम्पन्न हुआ।
(2009-10 के लक्ष्य एवं इससे अधिक)

3. आमान परिवर्तन

- सहरसा-दौरम मधेपुरा — 22 कि.मी. का आमान परिवर्तन कर परिचालन शुरू किया गया।

4. ऊपरगामी पुल

- पटना (बिहार) — मार्च 2009 में यातायात के लिए खोल दिया गया।
- भूली-तेतुलमारी (झारखंड) मार्च 2009 में यातायात के लिए खोल दिया गया।
- राजेन्द्र नगर (बिहार) — अप्रैल 2009 में यातायात के लिए खोल दिया गया।
- राय-खेलारी (झारखंड) — 2009 में यातायात के लिए खोल दिया गया।
- मुजफ्फरपुर (बिहार) — 2009 में यातायात के लिए खोल दिया गया।
- फुसरो-अमलो (झारखण्ड) — 2010 में यातायात के लिए खोल दिया गया।



पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रस्तावित उप-विधि

1.0 प्रस्तावना :

- 1.1 रेल उपयोगकर्ता का बेहतर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, पूर्व मध्य रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच इस रेल द्वारा प्रदत्त सेवा से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श के अधिक अवसर उपलब्ध कराने एवं सेवा की दक्षता में सुधार हेतु पूर्व मध्य रेल के प्रधान कार्यालय, हाजीपुर में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, (जिसे अब से जेड.आर.यू.सी.सी. कहा जाएगा) साथ ही दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर के मंडल मुख्यालयों में पाँच डी.आर.यू.सी.सी. भी गठित की गई है।
- 1.2 क्षेत्र.उ.प.स. का उद्देश्य : जेड.आर.यू.सी.सी. के गठन का उद्देश्य स्टेशनों और गाड़ियों दोनों पर यात्री-सुविधाओं को रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए यथासंभव लाभदायक बनाने के लिए सदस्यों के परामर्श से जनमत प्राप्त करने का प्रावधान करना, और इस प्रकार रेलवे प्रशासन को जनमत और आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतः सही एवं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है ताकि रेलवे के पास उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम उपयोग हो सके और बिना अतिरिक्त खर्च के अधिक वांछित काम पूरा किया जा सके।

2.0 समिति का गठन :

- 2.1 जेड.आर.यू.सी.सी. में इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य क्षेत्र में सामान्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधित्व हेतु माननीय रेल मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिसे नीचे दर्शाया गया है :-
- 2.1.1 (क) केवल 10 संसद सदस्य (07 लोक सभा और 03 राज्य सभा) नामित किए जाएंगे।
- (ख) जेड.आर.यू.सी.सी. में प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्व मध्य रेल सेवित क्षेत्र में स्थित हो प्रतिनिधित्व हेतु उनके द्वारा नामित व्यक्ति।
- 2.1.2 इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक विधान मंडल का एक सदस्य।
- 2.1.3 इस रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जैसा कि उस सरकार द्वारा अनुशंसित हो।
- 2.1.4 प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि तथा/या जिस व्यापार संघ का स्थायित्व पांच साल से कम न हो।
- 2.1.5 राज्य सरकार अथवा सरकारी कृषि संगठन एवं अन्य निकायों के दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं, जो उपर्युक्त 2.1.4 में उल्लिखित चेम्बर आफ कामर्स से संबद्ध या शामिल नहीं है।
- 2.1.6 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक एक या दो पंजिकृत यात्री संगठनों का एक प्रतिनिधि।

- 2.1.7 "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित एक सदस्य।
- 2.1.8 माननीय रेल मंत्री द्वारा "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में नामित आठ सदस्य।
- 2.1.9 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत उपयोगकर्ता संरक्षण स्वैच्छिक संगठन (कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालन्टरी आरगनाइजेशन) का एक प्रतिनिधि।
- 2.1.10 इस रेलवे के प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से चुने हुए एक गैर सरकारी प्रतिनिधि।
- 2.2 जिन व्यक्तियों के पास रेलवे से जुड़े मुनाफे का कार्यभार जैसे खानपान एवं बिक्री ठेकेदारों आउट एजेन्सी ठेकेदारों, हैंडलिंग ठेकेदारों, इन्जीनियरिंग ठेकेदारों सहित ट्रेवलिंग एजेंसियाँ अथवा वे, जो मालगोदाम पार्सल कार्यालयों आदि के साथ दिन-प्रतिदिन के काम में घनिष्ट और सीधे जुड़े हैं, जैसे फारवर्डिंग एजेंटों आदि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति एवं राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।
- 2.2.1 यदि किसी सदस्य को विशेष हित की कोटि के अन्तर्गत मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति दोनों के लिए नामित किया जाता है तो उस व्यक्ति की सदस्यता केवल एक ही समिति अर्थात् मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में ही मान्य होगी तथा क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- 2.3 पूर्व मध्य रेल क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित राज्य होंगे — 1. बिहार, 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखंड और 4. मध्य प्रदेश
- 2.4 महाप्रबंधक समिति के अध्यक्ष होंगे तथा उप महाप्रबंधक (सा.), पूर्व मध्य रेलवे समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- 2.5 उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य महत्त्वपूर्ण स्थानीय चैम्बरों या प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों से सामान्यतया लिए जाते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त होता है। चैम्बरस तथा/या संघों और अन्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात उक्त संगठनों को उनका/उनके प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के नाम नामित करने की सलाह दी जाएगी। यह उक्त चैम्बरों/संघ के विवेक पर है कि प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से।
- 2.6 क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा जो इसके गठन की तिथि से दो वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2.7 सदस्यों का वर्गीकरण
- 2.7.1 सरकारी सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि "सरकारी सदस्यों" की कोटि में आएंगे।
- 2.7.2 गैर सरकारी सदस्य : उपर्युक्त पैरा 2.7.1 में दिये गए सदस्यों के अलावा बाकी सभी सदस्यों को सभी प्रयोजन के लिए गैर सरकारी सदस्य समझा जाता है।

3.0 कार्य संबंधी शर्तें:

- 3.1 प्रधान कार्यालय स्थित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति इस रेलवे द्वारा सेवित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रेल उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व करेगी और निम्न से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है :-
- 3.1.1 रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में यात्री या मालभाड़ा से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान।
- 3.1.2 समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए स्टेशनों के खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव।
- 3.1.3 समय सारणी संबंधी व्यवस्थाएं।
- 3.1.4 रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार।
- 3.1.5 सामान्य लोकहित या सार्वजनिक सुविधा या सुविधाओं से जुड़े ऐसे मामले जो उपयोगकर्ता के प्रतिवेदन का विषय रहा हो, से संबंधित कोई विषय।
- 3.2 मंडल समितियों के रिपोर्टों से उत्पन्न मामले या ऐसे अन्य मामले जो उपर्युक्त मद (3.1.1 से 3.1.5) में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं, जो विशेष रूप से मंडल समितियों द्वारा विचारार्थ अग्रसारित किए जाते हैं।
- 3.2.1 प्रशासन रेल मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एन. आर. यू. सी. सी.) की रिपोर्ट और विचारार्थ भेजे गए मामले।
- 3.2.2 रेलवे दरों (भारिक शुल्क को छोड़कर) और किराए से संबंधित मामले एवं कर्मचारी से संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्यवाही और नियुक्ति आदि से संबंधित प्रश्न समिति के समक्ष विचारार्थ नहीं लाए जाएंगे।
- 3.3 इन नियमों के तहत गठित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रकृति पूर्णतः परामर्शदात्री ही होगी।

4.0 समिति की बैठक :

- 4.1 एक वर्ष में तीन बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- 4.2 किसी विषय में सूचना जिसे कोई सदस्य विचार के लिए करना चाहते हों, वे बैठक के निर्धारित तिथि के न्यूनतम 45 (पैंतालिस) दिन पहले समिति के सचिव के पास अवश्य भेज दें। फिर भी, अत्यावश्यक विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति/सहमति से विचार-विमर्श किया जा सकता है।
- 4.3 समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित कोरम नहीं है।

5.0 चुनाव :

- 5.1 प्रत्येक अवधि के लिए रा.रे.उ.प.स. (एन.आर.यू.सी.सी.) में प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। समिति पूर्णरूपेण गठित होने के बाद ही इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए।
- 5.1.1 रा. रे. उ. प. स. के चुनाव तभी होंगे जब प्रत्येक म.रे.उ.प.स. से चुनाव द्वारा अपना एक-एक प्रतिनिधि क्षे. रे. उ. प. स. में भेज दिया गया हो।
- 5.2 पैरा 2.7.2 में वर्गीकृत गैर-सरकारी सदस्य ही रा. रे. उ. प. स. एवं उप रे. उ. प. स. में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षे. रे. उ. प. स. के चुनाव में खड़ा होंगे।
- 5.2.1 केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मतदान के योग्य होंगे।
- 5.2.2 अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत् प्रस्तावित एवं अनुशंसित इच्छुक सदस्य द्वारा ही रा.रे. उ.प.स. के लिए चुने जाने हेतु नामांकन पत्र भरे जायेंगे।

- 5.2.3 कोई भी सदस्य, जो स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हो, इसी उद्देश्य के लिए किसी एक दूसरे सदस्य का प्रस्ताव/अनुशंसा कर सकता है।
- 5.2.4 प्रक्रिया संबंधी हुई त्रुटि जैसा कि पैरा 5.2.2 एवं 5.2.3 में उल्लिखित है, यदि नामांकन पत्र जाँच करते समय पता चलता है तो नामांकन रद्द माना जायेगा।
- 5.3.1 माननीय संसद सदस्य, विभिन्न राज्यों के माननीय विधान सभा सदस्य जो किसी रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शकर्ता समिति यथा क्षेत्र.उ.प.रा. एवं एन.आर.यू.सी.सी. में चुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके सीधे नामांकन के लिए पहले से ही प्रावधान है।
- 5.4 इस उद्देश्य के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतु अध्यक्ष, पहले ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए किसी एक अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे।
- 5.4.1 मतदान का परिणाम अनिर्णित रहने पर समिति के अध्यक्ष चुनाव को निर्णायक बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

6.0 परिचय पत्र :

- 6.1 परिचय पत्र जारी करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दो स्टाम्प साइज फोटोग्राफ जमा किया जाना चाहिए।
- 6.1.1 सदस्यों को जारी किया गया परिचय पत्र निःशुल्क रेलवे पास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- 6.2 परिचय पत्र के खो जाने पर क्षेत्र.उ.प.स. के सदस्यों द्वारा प्राथमिक सूचना रपट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति के साथ इस संबंध में आवेदन दिया जाना चाहिए। रेलवे उन्हें एक नया परिचय पत्र जारी करेगी जिस पर डुपलीकेट अंकित होगा।
- 6.3 सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यों को अपना परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए। यदि कार्य अवधि के पहले ही समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंग कर दी जाती है तो भी सदस्यों को अपने परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए।

7.0 परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) :-

- 7.1 जब कभी भी रेलवे द्वारा परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) का आयोजन किया जायेगा केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उसमें भाग लेने के योग्य हैं।
- 7.2 अत्यावश्यक समझे जाने पर विश्रामगृह/विश्रामागार की व्यवस्था परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) के समय निःशुल्क की जाएगी।
- 7.3 यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य यात्रा में सहभागी बनने के लिए अपनी पूर्व सहमति दे देने के बाद नहीं आते हैं तो सदस्यों की उपस्थिति के आकार को देखते हुए यात्रा की तिथि के दिन यात्रा को रद्द कर देने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है ताकि व्यर्थ व्यय से बचा जा सके। स्थगन के निर्णय पर विचार-विमर्श अगली बैठक में की जानी चाहिए।

8.0 बैठक के समय सदस्यों के लिए सामान्य सुविधाएँ :

- 8.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए दूरवर्ती सदस्यों के लिए सिर्फ तीन दिनों के लिए ही (बैठक के पहले दिन, बैठक का दिन तथा बैठक के बाद का दिन) बैठक-स्थल के निकटतम स्टेशन पर रेलवे रिटाररिंग रूमों/विश्रामगृहों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी तथा रहने की व्यवस्था में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा रेल प्रशासन द्वारा जगह की अनुपलब्धता की स्थिति में उपयुक्त/उपलब्ध होटलों में की जायेगी।
- 8.2 बैठक में उपस्थित होने के लिये आये सदस्यगण, विश्रामगृह/रिटाररिंग कक्षों/होटलों में ठहरने के दौरान खान-पान सेवाओं का लाभ केवल स्वयं भुगतान करके ही उठा सकते हैं।
- 8.3 सदस्यों के लिए ठहरने के स्थान से बैठक-स्थल तक आने एवं जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।

9.0 यातायात सुविधाएँ :

9.1 गैर-सरकारी सदस्यों के लिए :

- 9.1.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर गैर-सरकारी सदस्यों को अपने गृह-स्थान (होम स्टेशन) से सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी की यात्रा के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/II वातानुकूलित दर्जे (राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियों को छोड़कर) के पास जारी किये जाएंगे।
- 9.1.2 प्रथम श्रेणी/II वातानुकूलित श्रेणी के लिए जारी इस तरह के पास पर एक परिचायक को द्वितीय श्रेणी/शयनयान में ले जाने की सुविधा होगी।
- 9.1.3 यदि कोई सदस्य प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करना चाहें तो उन्हें जैसा देय होगा, भाड़े का अन्तर देना होगा (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के किसी श्रेणी को छोड़कर)।
- 9.1.4 पहले से विद्यमान पास-नियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार मार्गस्थ यात्रा भंग करने की अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी अतिरिक्त यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9.1.5 उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े हो, विमान यात्रा अनुमेय नहीं है। उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े न हों, सदस्य के निवास से निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक विमान यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, यदि निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल-हेड से बैठक स्थल के बीच के रेल किराए (2 वाता.) का कुल योग निवास स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक के कुल हवाई किराये से अधिक हो, तो सदस्य के निवास के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल तक हवाई किराये की अनुमति दी जा सकती है।
- 9.1.6 यदि कोई सदस्य वैसे स्थान पर रह रहे हों जो रेल-हेड से नहीं जुड़ा हो और निकटतम रेल-हेड तक समुद्री मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी पहुँचा जा सकता हो तब सदस्य को परिवहन के वैसे साधन से यात्रा करने की अनुमति होगी जिसका किराया कम हो।

9.1.7 रेलवे स्थापना (इंस्टेबिलिजमेंट) के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को कोई अतिरिक्त पास नहीं जारी किया जाएगा।

9.2 सरकारी सदस्यों के लिए :

9.2.1 सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी हेतु राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों के प्रधान कार्यालयों से सरकारी सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं।

9.3 राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए :

9.3.1 अपने गृह स्थान (होम स्टेशन) से बैठक स्थल तक यात्रा करने हेतु विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए पास जारी किए जा सकते हैं।

9.4 संसद सदस्यों के लिए :

9.4.1 एक संसद सदस्य/सदस्या अपने लिए जारी पहचान कार्ड-सह रेलवे पास का उपयोग कर साधारणतः रेल द्वारा ही यात्रा करेंगे/करेंगी। वे अपनी मर्जी से विमान द्वारा भी यात्रा कर सकते/सकती हैं। फिर भी, सामान्य रूप से विमान यात्रा का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए तथा इस तरह की यात्रा करने के लिए कारकों यथा-कार्य की अत्यावश्यकता यात्रा की जाने वाली दूरी, अपने कार्य-निष्पादन के लिए समय इत्यादि का ध्यान सदस्य/सदस्या को रखनी चाहिए तथा जहाँ विमानों में दो श्रेणियों यथा-प्रथम एवं मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी, उपलब्ध हों, एक संसद सदस्य/सदस्या प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते/सकती हैं।

9.4.2 संसद सदस्य/सदस्या के लिए सामान्यतः कोई पास जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास दिया गया है फिर भी उनकी ओर से समिति या उसकी उप समिति में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी मानार्थ पास जारी करने के विशेष अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है, यदि पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास खो जाने की सूचना दी गई हो।

9.4.3 जहाँ कोई सदस्य संसद के सदन के सत्र अथवा किसी समिति की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा सदस्य के रूप में अपने ड्यूटी से संबंध किसी अन्य कार्य करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से अथवा ऐसे स्थान तक वापसी यात्रा करता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा अथवा अपने सामान्य निवास स्थान से या तक यात्रा, जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

9.5 परिचर की परिभाषा :

9.5.1 'परिचर' शब्द की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति जो पास धारक की व्यक्तिगत सेवा में वेतन पर नियोजित किया गया हो। इसमें पूरे समय वाले घरेलू कर्मचारी शामिल हैं यथा - बेयरा, खनसार्मों (बटलर), रसोइया, आया इत्यादि। लेकिन इसमें शिक्षक, दर्जी, धोबी इत्यादि या पास धारक का कोई संबंधी, जो नौकर की तरह कार्य कर रहा हो, शामिल नहीं है।

9.6 सामान्य यात्रा सुविधाएँ :

- 9.6.1 समिति की बैठकों में भाग लेने या समिति के अन्य कार्य के लिए सदस्यों को 'अस्थायी' निवास के निकटतम रेलवे स्टेशन से पास जारी करने हेतु उनके अनुरोध को गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है तथा महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के नीचे की दूरी स्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के बीच की दूरी से कम हो।
- 9.6.2 निवास स्थान के अतिरिक्त भी किसी स्टेशन तक वापसी यात्रा के लिए पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि बहिर्यात्रा के लिए जारी पास के स्टेशन की दूरी से वह दूरी (वापसी यात्रा की) कम हो।

10.0 यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

10.1 गैर-सरकारी सदस्यगण :

- 10.1.1 सदस्य के निवास स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तथा बैठक स्थल के बीच तथा उसके विपरीत क्रम में यात्रा करने में लगे कोई भी कैलेंडर दिन या एक से अधिक दिन के लिए पाकेट खर्च में से बैठक की अवधि के दौरान प्रतिदिन रु0 120/- की दर से दैनिक भत्ता तथा रु0 50/- प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। पाकेट भत्ता में से रु0 50/- उस दिन या उन दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा जिस दिन के लिए रु0 120/- के रूप में दैनिक भत्ता देय है।
- 10.1.2 यदि निकटतम रेलवे स्टेशन से निवास स्थान की दूरी 8 किमी. से अधिक है, तो प्रति किमी. 4/- (चार रुपये) अधिकतम के हिसाब से निवास स्थान तथा रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा के लिए वास्तविक पाकेट खर्च के रूप में दिया जायेगा।
- 10.1.3 शहर जिसमें बैठक हो रही है, के किसी कोने में रहने वाले क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के स्थानीय गैर-सरकारी सदस्य "ए" एवं "बी" श्रेणी के शहर के लिए वास्तविक वाहन किराया प्रभार अथवा 100/- रु0 प्रतिदिन जो भी कम हो, एवं अन्य "सी" श्रेणी के शहरों के लिए वास्तविक वाहन प्रभार अथवा 75/- रु0 प्रतिदिन जो भी कम हो, भुगतान के पात्र होंगे। तथापि, उन्हें कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

10.2 सरकारी सदस्य :

- 10.2.1 समिति के सरकारी सदस्य पैरा 10.1.1 एवं 10.1.2 में वर्णित भत्तों के हकदार नहीं होंगे। इस सदस्यों को यात्रा भत्ता उनके अपने नियमों के अनुसार दिया जाएगा और उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जायेगा।

10.3. विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों :

- 10.3.1 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में नामित राज्य विधायिका के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) संबंधित राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत दिया जाएगा और राज्य विधायिका माना जाएगा।

और राज्य विधायिका के सत्र के दौरान वे अपने संबंधित वेतन और भत्ता भुगतान तथा रिमुवल ऑफ सिक्वालिफिकेशन अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित होंगे। फिर भी इन सदस्यों को उनके निवास स्थान के निकटतम स्टेशन से बैठक स्थल पर आने एवं वापसी यात्रा हेतु प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। यदि विधायिका के सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो संबंधित उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक स्थल से उस शहर के स्टेशन तक जहाँ विधान सभा स्थित है, की वापसी यात्रा हेतु भी पास जारी किया जा सकता है। राज्य विधायिका के सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) की निकासी नहीं करेंगे, जो उन्हें राज्य विधायिका के सदस्य के अयोग्य बना सकता है।

10.3.2 किसी भी ऐसे दिन के लिए जिसके लिए सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य के रूप में अपने दैनिक भत्ता के हकदार हैं, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

10.3.2.1 बैठक के स्थान एवं उनके निवास स्थान के निकटस्थ रेलवे स्टेशन के बीच और उसी प्रकार दूसरी ओर से वापसी के तहत यात्रा में लगे दिनों की संख्या की गणना यात्रा भत्ता के रूप में की जाएगी तथा सदस्य द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की प्राप्ति तक वापसी सीमित होगी। इस उद्देश्य के लिए सदस्य के दावे के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा :

"प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्र.उ.प.स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।"

सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद् का हस्ताक्षर

10.4 संसद सदस्य :

10.4.1 संसद सदस्य के पक्ष में निर्गत किया गया पहचान-पत्र-सह-रेलवे पास का उपयोग कर वे रेल द्वारा साधारणतया यात्रा करेंगे। वे अपने विवेकानुसार वायुयान द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। यदि वायुयान द्वारा यात्रा किया जाता है, तो आउट ऑफ पाकेट खर्च स्वरूप ऐसी यात्रा हेतु वायुयान भाड़ा का एक एवं एक चौथाई के बराबर की राशि के लिए सदस्य हकदार होंगे।

10.4.2 समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए संसद सदस्य रेल की अपेक्षा सड़क द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे मामले में संसद सदस्य 8.00 रु० प्रति कि. मी. की दर से रोड मील-भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। यात्रा भत्ता की जगह जो उनको स्वीकार्य रहा हो यदि वे रेल द्वारा यात्रा करते, बशर्ते कि सम्पूर्ण यात्रा के लिए ऐसे सदस्य द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता की कुल राशि से उक्त राशि अधिक नहीं होगी जो उनके लिए स्वीकार्य रहा होगा, अगर वे रेल द्वारा यात्रा कर चुके होते।

10.4.3 यदि संसद सदस्य रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो बैठक का स्थान एवं निवास स्थान से आउट ऑफ पाकेट खर्च के रूप में इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा और इकहरी यात्रा प्रथम श्रेणी भाड़ा के बराबर की राशि यात्रा भत्ता स्वरूप भुगतान किया जाना चाहिए बिना इस बात पर ध्यान दिए कि सदस्य ने किस श्रेणी में यात्रा की।

10.4.4 बैठक की अवधि के दौरान रु० 500/- प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता।

- 10.4.5 बैठक के दिन/दिनों में इस दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, सदस्य बैठक को कार्यवाही के दो दिन पूर्व और बैठक समापन के दो दिन बाद हेतु दैनिक भत्ता के लिए हकदार होंगे, यदि वे इन दिनों में बैठक के स्थान पर वास्तव में ठहरते हैं।
- 10.4.6 किसी भी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान देय नहीं है जिस दिन संसद सदस्य एक संसद सदस्य के रूप में अपना दैनिक भत्ता पाने के हकदार है।
- (ए) यदि यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए हवाई यात्रा भाड़े के $1\frac{1}{4}$ के बराबर धनराशि।
- (बी) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या हवाई मार्ग से नहीं की जा सकती हो।
- (I) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर से किया जाए तो स्टीमर में उच्चतम श्रेणी की ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए भाड़े के (आहार रहित) $1-3/5$ के बराबर की धनराशि अथवा, यदि नियमित स्टीमर सेवा विद्यमान न हो तो ऐसी यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए ऐसी धनराशि जैसा कि संसद अधिनियम, 1945 के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित हो।
- (II) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग से किया जाए तो ऐसी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए 8 रु. (आठ रुपये मात्र) प्रति किलोमीटर की दर से रोड माइलेज (सड़क मील भत्ता)
- (III) आगे पुनः यह कि जब कोई सदस्य दिल्ली में सड़क मार्ग से हवाई अड्डे से और हवाई अड्डे तक यात्रा करता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए न्यूनतम रु. 120/- (एक सौ बीस रुपये मात्र) भुगतान किया जाएगा।
- 10.4.7 आउट ऑफ पाकेट भत्ता (यथा बैठक स्थल एवं अपने निवास स्थान से निकटस्थ रेल स्टेशन एवं उसी प्रकार वापसी के बीच इकहरी प्रथम श्रेणी भाड़ा और इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा के समतुल्य राशि) संसद सदस्य द्वारा की गयी वास्तविक खर्च की पूर्ति तक सीमित होगी। इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य के दावे में निम्नलिखित समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

“प्रमाणित किया जाता है कि क्षे. रे. उ. प. स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।”

संसद सदस्य का हस्ताक्षर

- 10.4.8 उपर्युक्त नियमों के तहत जहाँ वास्तविक खर्च की राशि उच्चतम देय राशि की अपेक्षा कम हो तो भत्ते की राशि को वास्तविक खर्च की राशि तक कम कर दी जाय जिसे पैरा 10.4.7 में उल्लेख के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है।
- 10.4.9 संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य इस समिति की बैठक आदि के संबंध में उनके द्वारा वास्तविक रूप में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता के पात्र हैं।
- 10.4.9.1 संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के सदन के सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा किसी समिति की बैठक अथवा सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी से संबंध किसी अन्य कार्य को करने के लिए भारत में उनके द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए उनके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ अथवा बैठक आयोजित होनी है अथवा अन्य कार्य सम्पादित किए जाने हैं और ऐसे स्थान से सामान्य निवास तक वापसी यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा।

10.4.9.2 समिति की बैठक आदि के स्थान तक संसद/राज्य विधान मंडल की बैठक के स्थान से और वापसी यात्रा हेतु, यदि संसद/राज्य विधान मंडल के सत्र में भाग लेने के समय वहाँ से बैठक में जाने और वहाँ से वापसी यात्रा की जाए।

11.0 अनुपालन के लिए मार्गदर्शन :

11.1 अधिसूचित गैर-सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम जो उनके पत्र शीर्ष लेटर हेड/विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित हों वे पूरी तरह से उनके नामांकन पत्र के अनुसार होने चाहिए।

11.2 उन्हें अपने पत्र शीर्ष (लेटर हेड) स्टैट्स, क्रेस्ट्स, बैजें, हाउस फ्लैग या अन्य उद्देश्य हेतु सरकारी अनुमति के बिना सरकारी प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

12.0 सदस्यता का निरस्तीकरण :

12.1 इस आशय की सूचना मिलने पर कि किसी सदस्य/सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है या कोई सदस्य आपराधिक कार्यवाही में विधि न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की सदस्यता सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निरस्त कर दी जाएगी।

12.2 सदस्य/सदस्यों की ओर से की गई कोई कार्रवाई रेलवे के हित में नुकसान देय पायी जाने पर उनकी सदस्यता/सदस्यताएँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जप्त कर ली जाएगी।

13.0 माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति।

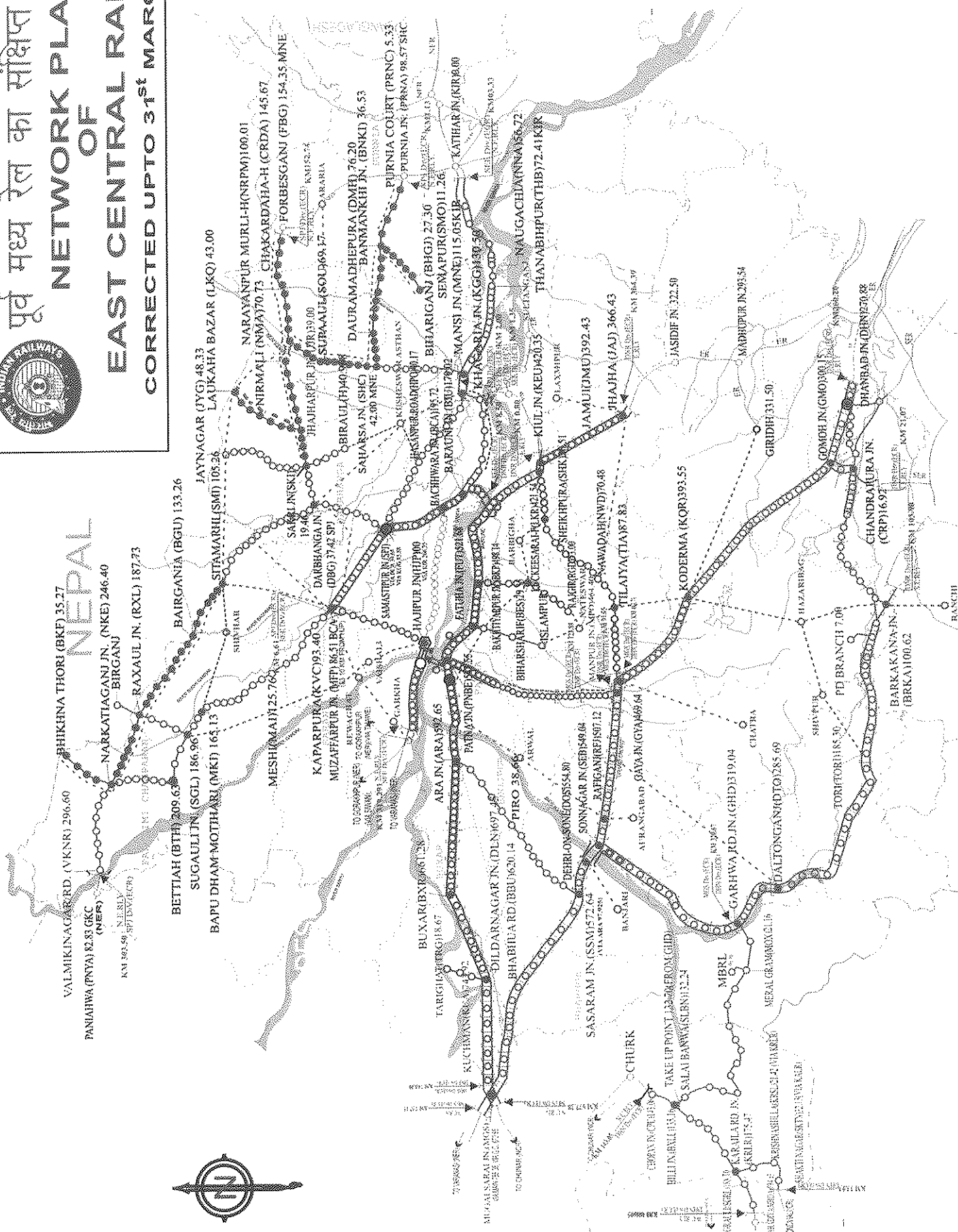
13.1 वैसे माननीय सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य जो जेड.आर.यू.सी.सी. समिति के अवधि के पहले ही संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य नहीं रह जाएंगे। उनकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

* * * * *



पूर्व मध्य रेल का संक्षिप्त मानचित्र

INDIAN RAILWAYS **1** **NETWORK PLAN** **OF** **EAST CENTRAL RAILWAY** **CORRECTED UPTO 31st MARCH ' 2009**



CHARGE CONVERSION FROM MTD TO BLD
COMPLETING IN PROGRESS
MEGA BRIDGES IN PROGRESS
RIVER
MODEL STATIONS
DIVISIONAL BORDER
RAILWAY DIVISIONAL HEADQUARTERS
RAILWAY ZONAL HEADQUARTERS

Figure 1 illustrates the chemical structure of the polyimide-epoxy resin system. The top portion shows a polyimide chain segment with repeating units derived from benzophenone and pyromellitimide, connected by imide linkages. The bottom portion shows an epoxy resin chain segment with repeating units derived from diglycidyl ether and polyether, connected by ether linkages. The two chains are linked by covalent bonds, forming a cross-linked network. The diagram uses various symbols to represent atoms and functional groups, such as circles for carbon, squares for nitrogen, and lines for bonds.

BROAD GAVGE SINGLE LINE
BROAD GAVGE DOUBLE LINE
BROAD GAVGE MULTIPLE LINE
METRE GAVGE SINGLE LINE
DISTRICT BOUNDARIES
STATE BOUNDARIES
INTERNATIONAL BOUNDARY
OTHER RAILWAY
ELECTRIFIED LINE SINGLE DOUBLE B.G.
UNDER CONSTRUCTION BROAD GAVGE SINGLE LINE

